रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 256] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1975/भाद्र 21, 1897
No. 256] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 1975/BHADRA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

ORDER

New Delhi, the 12th September 1975

G.S.R. 491(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment to the Colliery Control Order, 1945, namely :—

In the said Order, after clause 12F, the following clause shall be inserted, namely :—

"12G. Notwithstanding anything contained in clauses 12A, 12B and 12E of this Order, on and from the 15th day of September, 1975, any person may, without any order of allotment or authority,—

(a) acquire or purchase or agree to acquire or purchase, or

(b) despatch or agree to despatch or transport, or

(c) divert or transfer,

hard coke produced from Bee-hive Ovens, Country Ovens and By-product Ovens:

Provided that such hard coke is consumed in India;

Provided further that nothing in this clause shall apply to hard coke in respect of which a direction is issued by the Central Government under clause 8 of this Order."

[No. C4-18(11)/72-CDT]

S. B. LAL, Jt. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

सा० का० नि० 491(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, खंड 12 एफ के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

"12 जो इस आदेश के खंड 12 ए, 12 बी तथा 12 ई में लिखित किसी बात के रहते हुए भी, 15 सितम्बर, 1975 को और उसके बाद से कोई भी व्यक्ति बी-हाइव भट्ठियों, देशी भट्ठियों तथा उपोत्पाद भट्ठियों में तैयार हार्ड कोक को बिना नियंत्रण आदेश या प्राधिकार के—

(क) प्राप्त या खरीद सकेगा अथवा प्राप्तियां खरीद के प्रति सहमति दे सकेगा; अथवा

(ख) प्रेषित कर सकेगा अथवा प्रेषण या ढुलाई को सहमति दे सकेगा; अथवा

(ग) अन्यत्र भेज या स्थानांतरित कर सकेगा।

किन्तु शर्त यह है कि उक्त हार्ड कोक का उपभोग भारत में ही होता हो।

पुन: यह भी शर्त है कि इस खंड की कोई बात ऐसे हार्ड कोक पर लागू नहीं होगी जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आदेश के खंड 8 के अधीन निदेश जारी किया गया हो।

[सं० सी 4-18 (11)/72-सी०डी०टी०]

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975